मांग सं. 6 : स्पीड पोस्ट को इक्कठा करने के केन्द्रों में निरीक्षक/सहायक अधीक्षक के पदों को स्वीकृति ।

उचित पदों की स्वीकृति के मामले पर निधि की उपलब्धता की शर्त पर गुणावगुण के आधार पर विचार होगा ।

मांग सं. 7 : डाक निदेशालय में तैनात किये गये निरीक्षकों और सहायक अधीक्षकों में बाह्य स्थान भत्ते में संशोधन ।

बाह्य स्थान भत्ता प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में है। डाकघर निरीक्षण/रेल डाक निरीक्षक/सहायक अधीक्षक डाकघर/सहायक अधीक्षक रेल डाक को भी डाक निदेशालय में तैनात किए जाने के फलस्वरूप विशेष वेतन दिया जाता है। विशेष वेतन चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद 75 रुपये से बढ़ाकर दो गुना अर्थात् 150 रुपये कर दिया है। वास्तव में उपर्युक्त वर्गों के कर्मचारी बाह्य स्थान भत्ता और विशेष वेतन के बदले 5 अथवा 10 प्रतिशत की निर्धारित दर पर प्रतिनियुक्त भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते है। चूंकि बाह्य स्थान भत्ता और विशेष वेतन पहले से प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को इसके परिणामस्वरूप परेशानियां होंगी। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि उनकी हकदारी में कोई परिवर्तन न किया जाए और बाह्य स्थान भत्ते की राशि 45 प्रतिमाह की मौजूदा दर पर जारी रखी जाये।

Allowances to the Postal Employees in the border areas

63. SHRI RAOOF VALIULLAH; Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether border allowance is paid to the Postal employees in the border districts of the States of Punjab and Rajasthan, if so, the quantum of such allowance paid to the employees and since when;

(b) whether this allowance is also paid to the employees in the border district of Kutch in Gujarat, if not, what are the reasons therefor; and

(c) what are the other benefits for the employees working in border areas in the North-eastern, western, and Northern regions of the country which are close to the International border?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) Yes, Sir. The Border Allowance has been granted to the Central Government Employees including postal employees, but excluding members of security forces and those whose conditions of recruitment cover service in Border areas, in specified border areas of Punjab and Rajasthan with effect from 1-8-88 at the following rates:

Pay ranges (Basic Pay)	Rate
	(Rs. per month)
Below Rs. 950	20
Rs. 950 and above but below Rs. 1,500	40
Rs. 1500 and above but below 2,000	60
Rs.2000 and above but below Rs. 3,000	80
Rs. 3,000 and above	100

(b) The Government has not so far considered the question of grant of Border Allowance in the border district of Kutch in Gujarat.

(c) No special allowance has been specifically granted in the border areas of the North-eastern, Western and Northern Region of the country except the usual compensatory allowances such as Special Compensatory (Remote Locality) allowance, Composite Hill Compensatory Allowance and Special (Duty) Allowance etc. which are admissible in specified areas subject to the fulfilment of the conditions for grant of these allowances.

महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में स्थित लघु उद्योगों को दी जाने वाली राज सहायता का बन्द किया जाना

64. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में पिछड़े रत्नागिरि जिले में स्थित लघु उद्योगों को उपलब्ध 15 प्रतिशत राज सहायता बन्द कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप विकास रुक जाने की आशंका से रत्नागिरि जिले में भारी असंतोष व्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या राजसहायता पुनः आरम्भ कर दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) केन्द्रीय निवेश सबसीडी योजना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पता लगाये गये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले सहित औद्योगिक रूप से पिछड़े सभी जिलों के लिए लागू थी, की अवधि 30 सितम्बर, 1988 तक है। इसकी अवधि बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया दे।

धनसारी घाटी परियोजना, जोरहाट के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

65. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की धनसारी घाटी परियोजना, जोरहाट के उपमहाप्रबन्धक और चीफ इंजीनियर ड्रिलिंग के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सरकार को ऐसी किसी शिकायत के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के पेट्रोल पम्पों एवं गैस एजेंसियों का आबंटन

66. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 के दौरान सरकार का दिल्ली में कितने पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसी देने का प्रस्ताव है और कहां-कहां; और

(ख) इस संबंध में सरकार क्या अग्रेतर कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) 1987-88 की वार्षिक विपणन योजना तक तेल कंपनियों द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 47 नई खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपें (मोटर स्प्रिट/डीजल) स्थापित करने तथा 1988-89 तक की वार्षिक विपणन योजना के